न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर

बइजलास – श्री अशोक कुमार चौधरी आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 119/2019

अपीलार्थी :–

1. गोपीराम पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणपुरा तहसील रियाबडी जिला नागौर

रेस्पोडेन्ट :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डरी
2. तहसीलदार साहब, परबतसर
3. भू.अभिलेख निरीक्षक रिड
4. पटवारी हल्का कुण्डरी तहसील परबतसर जिला नागौर

वकील अपीलार्थी – श्री अजीज खां उपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–: निणर्य :–

अपील अपीलार्थी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत कुण्डरी के आदेश दिनांक 22.04.2017 म्यूटेशन संख्या 122 में कानूनी व वाकयाती भूल की है। ग्राम कुण्डरी की राजस्व सीमा में खसरा न. 378 रकबा 1.2900 हैक्टर जमीन स्थित है। जो अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से प्राप्त हुई। अपीलान्ट ने अपने बेचान की प्रति पटवारी हल्का कुण्डरी को नामान्तकरण हेतु दी थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी आधार के अपीलान्ट का नामान्तकरण खारिज कर दिया है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा नामान्तकरण सही दर्ज किया तथा रेस्पोडेन्ट सं. 3 द्वारा नामान्तकरण की जांच जमाबन्दी के मिलान के अनुसार सही पाया फिर भी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी कारण के नामन्तकरण खारिज करने मे कानूनी भूल की है। उक्त जमीन रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 09.01.2017 के आधार पर खरीद की थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 22.4.2017 के आधार पर नामान्तकरण के आधार पर खारिज किया। उक्त प्रस्ताव में कब्जे के तथ्य के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण खारिज किया जबकि नामान्तकरण प्रकिया राजस्व प्रकिया (फिस्कल कार्यवाही) है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दिनांक 22.4.2017 का आदेश अपास्त किया जाने योग्य है। अपील पेश कर निवेदन किया गया कि नामान्तकरण संख्या 122 ग्राम पंचायत कुण्डरी का अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण कार्यवाही के आदेश फरमावे।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 बाद तामिल नोटिस पेश हुए बावजूद इतला अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 के उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने जहीर किया की अपीलार्थी के म्यूटेशन दिनांक 22.04.2017 राजस्थान रेवेन्यू एक्ट में परिभाषित प्रकिया के बिना अस्वीकार किया गया है। जिसका रेस्पोडेन्ट के पास कोई कारण नही है। वकील अपीलान्ट ने दस्तावेज फार्म के साथ प्रस्तुत रेस्पोडेन्ट स. 1 ग्राम पंचायत कुण्डरी द्वारा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

02.07.2019 को जारी अपने लेटर पेड पर जाहिर किया गया है कि ग्राम कुण्डरी के खसरा नं. 378 का खातेदार गिरधारी पिता खीया व नौरती देवी दुर्गाराम रिछपाल मीरा गुलाब जिसने ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बैचान से गोपी राम पुत्र छोटूराम जाति मेघवाल निवासी कल्याणपुरा के नाम से नामान्तकरण सं. 122 जो दिनांक 22.4.2017 प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा खारिज किया उक्त वक्त सीमा विवाद था अब सीमा का कोई विवाद नही है, नामान्तकरण स्वीकार किया जाता है तो ग्राम पंचायत कुण्डरी को आपति नही है। कब्जा केता का है।

अपील अपीलार्थी, प्रस्तुत दस्तावेज रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जारी पत्र तथा वकील पक्षकारान की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया। मनन करने पर प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की गई है। एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा जारी दस्तावेज में भी स्पष्ट है कि उस समय सीमा का विवाद था अब सीमा का कोई विवाद नही है नामान्तकरण स्वीकृत किया जाता है तो ग्राम पंचयत कुण्डरी को आपति नही है एवं कब्जा अपीलान्ट/केता का होना जाहिर किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ग्राम कुण्डरी के खसरा नं. 378 रकबा 1.2900 हैक्टर में नामान्तरकरण संख्या 122 पर ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.04.2017 को अपास्त किया जाता है, एवं तहसीलदार परबतसर को आदेशित किया जाता है कि बैचान दस्तावेज दिनांक 09.01.2017 के अनुसार जांच कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)